श्री रामेश्वर यादव और अन्य।

बनाम.

बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश (2018 की आपराधिक अपील संख्या 387) 16 मार्च, 2018

[सीकरी और अशोक भूषण, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 205 और 482 - दूसरी प्रतिवादी ने अपने पति और आरोपी-अपीलकर्ताओं (सास-ससुर और दो अन्य) के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत शिकायत दर्ज की - मजिस्ट्रेट ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के साथ-साथ शिकायतकर्ता के पति को भी तलब किया- दूसरा प्रतिवादी - आरोपी-अपीलकर्ताओं ने मामले में अपनी शारीरिक उपस्थिति से बचने के लिए आवेदन दायर किया - मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन 205 के तहत खारिज कर दिया गया धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया - अपील पर, कहा गया: उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद बाद के चरण में धारा 205 के तहत आवेदन दायर किया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है - धारा 205 के तहत आवेदन अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा अदालत में उपस्थिति से पहले दायर किया गया था - प्रत्येक तारीख को अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करना आवश्यक था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया कि आवेदन अदालत में उनकी उपस्थिति से बहुत पहले दायर किया गया था - इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज नहीं किया था कि अदालत के समक्ष आरोपी-अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के बाद आवेदन विचार योग्य नहीं है - आवेदन को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय के विचार निराधार थे - दूसरी ओर मजिस्ट्रेट भी, आवेदन को खारिज करते समय, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा छूट मांगने के लिए दिए गए वास्तविक आधारों पर विचार करने में विफल रहा - आवेदन में आधार यह था कि अपीलकर्ता नंबर 1, शिकायतकर्ता पति के पिता, अपीलकर्ता नंबर 2 (अपीलकर्ता नंबर 1 की पत्नी), अपीलकर्ता नंबर 3 और 4 पुणे में रह रहे थे - आरोपी-अपीलकर्ताओं के निवास और पटना में मुकदमे के स्थान के बीच की दूरी 1750 किलोमीटर है - पूरे तथ्यों और परिस्थितियों और उनके द्वारा लिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए। अपीलकर्ताओं ने धारा 205 और धारा 482 के तहत अपने आवेदन में, 1055 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टों से छूट देने के लिए पर्याप्त आधार दिए थे। मुकदमे में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति – दंड संहिता, 1860 – धारा 498-ए – दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – धारा 4। अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1. उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आरोपी ने अदालत के समक्ष पेश होने के बाद बाद के चरण में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दायर किया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 205 के तहत 17.01.2013 को आवेदन दायर किया गया था। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन अदालत में उपस्थिति से पहले दायर किया गया था और गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्राप्त करने के बाद अदालत में उनकी उपस्थिति के बावजूद मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया होगा। प्रत्येक तारीख को अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक था कि अदालत में उनकी उपस्थिति से बहुत पहले 17.01.2013 को आवेदन दायर किया गया था। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज नहीं किया था कि अदालत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति के बाद आवेदन विचार योग्य नहीं है। इस प्रकार, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त आधार निराधार है। [पैरा 10] [1060-एच; 1061-ए-सी]

2. एक और कारण है जिसके कारण उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 317 एक और प्रावधान है जो अदालत को किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का विवेक देता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी के लिए उपलब्ध उपाय सीआरपीसी की धारा 317 के तहत था, न कि धारा 205 सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी की धारा 317 मजिस्ट्रेट को जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में आरोपी की उपस्थिति से छूट देने के कारणों के लिए दर्ज करने का अधिकार देती है। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए अभियुक्तों के आवेदन पर विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति में कोई बाधा नहीं है। [पैरा 10, 11] [1061-सी-ई]

3. अब, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कारणों का विज्ञापन करना। मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया पहला कारण यह है कि सभी आरोपी स्वस्थ और हार्दिक दिखाई देते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो अदालत के समक्ष पेश होने में बाधा हो सकती है। आरोपियों द्वारा इस आधार पर आवेदन दायर नहीं किया गया था कि वे किसी भी शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं और इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया उक्त कारण श्री रामेश्वर यादव और ओआरएस से पूरी तरह से बाहर है। (v) बिहार राज्य और एएनआर। दूसरा कारण यह है कि आरोपी और शिकायतकर्ता को हर तारीख को अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, ताकि उनके बीच अच्छी समझ हो। यह छूट मांगने के लिए आरोपी द्वारा दिए गए वास्तविक आधारों पर विचार नहीं करने का वैध आधार नहीं है। तीसरा आधार सुलह के संबंध में दिया गया था जिसके लिए अभियुक्त की उपस्थिति वांछनीय थी। इस आधार के संबंध में यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन शिकायतकर्ता के पति द्वारा दायर नहीं किया गया था, जिसकी अग्रिम जमानत पहले ही खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पति के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन नहीं कर रहे थे, जो कार्यवाही में बहुत अच्छी तरह से भाग ले सकते थे। इस प्रकार, आवेदन की अस्वीकृति के लिए उपरोक्त आधार भी उपलब्ध नहीं था। [पैरा 12, 13] [1061- एफ-एच; 1062-ए-बी]

4. आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए आधार यह थे कि, शिकायतकर्ता का अपीलकर्ता नंबर 1 पति सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी है और अपनी पत्नी के साथ पुणे में रहता है जो अपीलकर्ता नंबर 2 है। अपीलकर्ता नंबर 3 और 4 भी पुणे में रह रहे थे। शिकायतकर्ता का पति हैदराबाद में काम करता था। मजिस्ट्रेट ने उन आधारों पर विचार नहीं किया है जो अपीलकर्ताओं द्वारा छूट मांगने के लिए उठाए गए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष यह रिकॉर्ड में था कि आरोपी के निवास और पटना में मुकदमे के स्थान के बीच की दूरी 1750 किलोमीटर है। आगे यह कहा गया कि अपीलकर्ता नंबर 3 एक बिजनेस मैन था और पुणे में कंपनी चला रहा था और अपीलकर्ता नंबर 4 पुणे में बीसीए का छात्र था। सीआरपीसी की धारा 205 के तहत अपने आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गए सभी तथ्यों और परिस्थितियों और आधारों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उच्च न्यायालय के समक्ष दायर धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन में, ट्रायल में अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए थे। मजिस्ट्रेट ने छूट की प्रार्थना करने के लिए लिए गए आधारों का विज्ञापन नहीं करके गलती की और उन कारणों पर आवेदन को निरस्त कर दिया जो निराधार थे। सीआरपीसी की धारा 205 उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी स्तर पर अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने का अधिकार है, इसलिए जब भी आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो मजिस्ट्रेट को आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार होता है। [पैरा 13] [1062-बी-ई] सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर.आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 387। 2013 के आपराधिक दंड संख्या 42524 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 17.04.2017 के निर्णय और आदेश से। राकेश कुमार, अपीलकर्ताओं के वकील। सुश्री आभा आर. शर्मा, अब्दुल्ला, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

1. न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया था। यह अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 17.04.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर निर्णय आवेदन को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा पारित 13.08.2013 के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

2. अपील पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य हैं: दूसरे प्रतिवादी ने सब-डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना की अदालत में एक शिकायत दायर की, जिसमें आरोपी के साथ-साथ उसके पति अर्नेश कुमार द्वारा किए गए अपराध का आरोप लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11.10.2012 के आदेश के तहत आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के साथ-साथ शिकायतकर्ता के पति अर्नेश कुमार को भी तलब किया। आरोपी के साथ-साथ अर्नेश कुमार ने उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया। मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 23122012 को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। सभी अभियुक्तों के साथ-साथ अर्नेश कुमार ने दिनांक 17.01.2013 को एक आवेदन दायर किया जिसमें गैर-जमानती वारंट को वापस लेने और मामले में उनकी शारीरिक उपस्थिति को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। यह अपीलकर्ताओं का मामला था जिसने उक्त आवेदन दायर किया था क्योंकि अपीलकर्ता नंबर 1, अर्नेश कुमार के पिता एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं जो अपीलकर्ता नंबर 2 के साथ पुणे में रहते हैं और अन्य अपीलकर्ता भी पुणे, महाराष्ट्र के निवासी थे और उन्हें दूर से आना होगा। आरोपियों द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि उन्हें मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए। शिकायतकर्ता के पति अरनेश कुमार को छोड़कर सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना द्वारा शिकायतकर्ता के पति अमेश कुमार को छोड़कर सभी अभियुक्तों को दिनांक 21.06.2013 को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने दिनांक 13.08.2013 के आदेश द्वारा आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 205 श्री रामेश्वर यादव और अन्य के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। (v) बिहार राज्य और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।

3. दिनांक 13.08.2013 को आवेदन को अस्वीकार करते हुए, मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित कारण दिए:

(i) याचिकाकर्ता स्वस्थ और हार्दिक प्रतीत होते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो अदालत के समक्ष उपस्थित होने में बाधा हो सकती है।

(ii) अपराधों की प्रकृति के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता भी प्रत्येक तारीख को अधिमानत: न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, यह आशा करते हुए कि उन्हें सद्बुद्धि आएगी।

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधिनियमन के कारण सुलह के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति भी वांछनीय है क्योंकि मुख्य रूप से वैवाहिक सद्भाव की बहाली के लिए है।

4. दिनांक 13.08.2013 के आदेश को चुनौती देते हुए, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसे पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने एक नया आधार लेते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए प्रार्थना केवल आरोपी की पहली उपस्थिति के चरण में की जा सकती है। एक बार जब आरोपी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए कोई आवेदन किए बिना व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होता है, तो बाद के चरण में, ऐसा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं होगा। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. सीआरपीसी की धारा 205 और सीआरपीसी की धारा 317 जो इस मामले में प्रासंगिक हैं, उन्हें निकाला जाता है: "धारा 205।

(1) जब भी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, तो यदि उसे ऐसा करने का कारण दिखाई देता है, तो वह अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और उसे अपने वकील द्वारा उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

(2) परन्तु मामले की जांच करने वाला या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट, अपने विवेकसे, कार्यवाही के किसी भी चरण में, अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निदेश दे सकेगा, और यदि आवश्यक हो, तो ऐसी उपस्थिति को यहाँ पहले उपबंधित रीति से लागू कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर. 317. कतिपय मामलों में अभियुक्त ों की अनुपस्थिति में पूछताछ और विचारण का प्रावधान-(1) इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी भी चरण में, यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, या यदि अभियुक्त लगातार अदालत में कार्यवाही को बाधित करता है, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है, तो वह अपनी उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या परीक्षण के साथ आगे बढ़ सकता है, और कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में, ऐसे अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है। (2) यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जाता है, या यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को आवश्यक समझते हैं, तो वह, यदि वह उचित समझता है और उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, या तो ऐसी जांच या परीक्षण को स्थगित कर सकता है, या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त के मामले को अलग से लिया जाए या मुकदमा चलाया जाए।

7. मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर आवेदन को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने के लिए पूरी तरह से नए आधार लिए, बिना उन आधारों के जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए लिए लिए गए थे।

8. हम पहले आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आधारों पर विचार करते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए अनुरोध केवल आरोपी की पहली उपस्थिति के चरण में किया जा सकता है और एक बार जब आरोपी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए कोई आवेदन किए बिना व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होता है। ऐसा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं होगा।

9. उच्च न्यायालय ने देखा है कि आरोपी अदालत की संतुष्टि के लिए अग्रिम जमानत और बांड और जमानत जमा करने का आदेश प्राप्त करने के बाद पहले ही पेश हो चुके थे। जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21.06.2013 के आदेश द्वारा अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी गई थी और उसके बाद अभियुक्त अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 8 में देखा गया है।

10. उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि आरोपी ने अदालत के समक्ष पेश होने के बाद बाद के चरण में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दायर किया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। आवेदन श्री रामेश्वर यादव और ओआरएस था। (v) बिहार राज्य और एएनआर। [अशोक भूषण, जे। आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 205 के तहत 17.01.2013 को

मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन अदालत में उपस्थिति से पहले दायर किया गया था और अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद अदालत में उनकी उपस्थिति के बावजूद मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया होगा। प्रत्येक तारीख को अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक था कि अदालत में उनकी उपस्थिति से बहुत पहले 17.01.2013 को आवेदन दायर किया गया था। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज नहीं किया था कि अदालत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति के बाद आवेदन विचार योग्य नहीं है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त आधार निराधार है। एक और कारण है जिसके कारण उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

11. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि एक और प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 317 है जो अदालत को किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का विवेक देता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी के लिए उपलब्ध उपाय सीआरपीसी की धारा 317 के तहत था, न कि सीआरपीसी की धारा 205 सीआरपीसी धारा 317 के तहत, जो मजिस्ट्रेट को जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में आरोपी की उपस्थिति से छूट देने के कारणों के लिए अधिकार देता है। मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार सीआरपीसी की धारा 317 के तहत प्रार्थना पर विचार करने के लिए शक्तिहीन नहीं था। इस प्रकार, हमें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए अभियुक्तों के आवेदन पर विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति में कोई बाधा नहीं मिलती है।

12. अब, हम आवेदन को अस्वीकार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कारणों का विज्ञापन करते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया पहला कारण यह है कि सभी आरोपी स्वस्थ और हार्दिक दिखाई देते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो अदालत के समक्ष पेश होने में बाधा हो सकती है। आरोपियों द्वारा इस आधार पर आवेदन दायर नहीं किया गया था कि वे किसी भी शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं और इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया उक्त कारण पूरी तरह से अनुचित है। दूसरा कारण यह है कि आरोपी और शिकायतकर्ता को हर तारीख को अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, ताकि उनके बीच अच्छी समझ हो। हम इसे छूट मांगने के लिए आरोपी द्वारा दिए गए वास्तविक आधारों पर विचार नहीं करने के लिए किसी भी वैध आधार के रूप में देखने में विफल रहे हैं। तीसरा आधार सुलह के संबंध में दिया गया था जिसके लिए अभियुक्त की उपस्थिति वांछनीय थी।

13. इस आधार के संबंध में यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन पति द्वारा दायर नहीं किया गया था, अर्नेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एससीआर जिनकी अग्रिम जमानत पहले ही खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार, वर्तमान अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्नेश कुमार के लिए आवेदन नहीं कर रहे थे, जो पति है जो कार्यवाही में बहुत अच्छी तरह से भाग ले सकता था। इस प्रकार, आवेदन की अस्वीकृति के लिए उपरोक्त आधार भी उपलब्ध नहीं था। आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए आधार यह थे कि, अर्नेश कुमार के अपीलकर्ता नंबर 1 पिता सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं और अपनी पत्नी के साथ पुणे में रहते हैं जो अपीलकर्ता नंबर 2 है। अपीलकर्ता नंबर 3 और 4 भी पुणे में रह रहे थे। पति अरनेश कुमार हैदराबाद में काम करते थे। मजिस्ट्रेट ने उन आधारों पर विचार नहीं किया है जो अपीलकर्ताओं द्वारा छूट मांगने के लिए उठाए गए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष यह रिकॉर्ड में था कि आरोपी के निवास और पटना में मुकदमे के स्थान के बीच की दूरी 1750 किलोमीटर है। आगे कहा गया कि अपीलकर्ता नंबर 3, अशोक कुमार यादव एक व्यवसायी था और पुणे में कंपनी चला रहा था और अपीलकर्ता नंबर 4 पुणे में बीसीए का छात्र था। सीआरपीसी की धारा 205 के तहत अपने आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गए सभी तथ्यों और परिस्थितियों और आधारों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उच्च न्यायालय के समक्ष दायर धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन में, हमारा विचार है कि ट्रायल में अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए थे। मजिस्ट्रेट ने छूट की प्रार्थना करने के लिए लिए गए आधारों का विज्ञापन नहीं करके

गलती की और उन कारणों पर आवेदन को खारिज कर दिया जो निराधार थे। सीआरपीसी की धारा 205 उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी स्तर पर अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने का अधिकार है, इसलिए जब भी आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो मजिस्ट्रेट को आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार होता है।

14. परिणाम में, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के दिनांक 17.04.2017 के निर्णय और आदेश के साथ-साथ उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के 13.08.2013 के आदेश को रद्द किया जाता है, सीआरपीसी की धारा 205 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट दी गई है। हालांकि, यह मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 205 (2) के तहत उचित आदेश पारित करने से नहीं रोकेगा, जब अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अंकित ज्ञान अपील की अनुमति दी गई।

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2023.10.21 14:41:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court